निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 44) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2012

सं0 22 / नि0सि0(पू0)–01–12 / 09 / 1428—श्री मोद नारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, महानन्दा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार के विरुद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबन्ध के चेन संख्या 688.00 पर अवस्थित स्पर एवं चेन संख्या 688 के डाउन स्ट्रीम में तटबन्ध के समुचित सुरक्षा हेतु विभागीय निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने, स्थल पर सामग्रियों एवं श्रमिकों की समुचित व्यवस्था नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 3294, दिनांक 26.08.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के तहत स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता से विभागीय पत्रांक 234 दिनांक 4.02.10 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

(क) समय–समय पर अध्यक्ष बाढ़ संघर्षात्मक बल, कटिहार एवं विभागीय निदेशों के बावजूद आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गया जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) स्थल पर अपेक्षित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, श्रमिक एवं यंत्र–संयंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आप विफल रहे जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

श्री मोद नारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि तटबंध का टूटना ही स्वतः प्रमाणित करता है कि स–समय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण में ढीलाई बरती गयी और अंतिम समय तक इंतजार किया गया कि और अधिक बाढ़

संघर्षात्मक कार्य करने का मौका सभी को मिले। जब तकनीकी समिति ने A.E (Anti Erosion) कार्य नहीं दिया और स्थानीय अधिकारियों को लगता था कि वह जरूरी है तो फिर 15 जून से flood fighting क्यों नहीं आरंभ किया? वे सभी अंतिम समय तक रूके रहे कि और अधिक से अधिक flood fighting काम करना पड़ेगा और इसी लालच में बांध टूट गया। अतएव श्री मोद नारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को Lack of supervision, not ordering flood fighting works to be done on time and criminal neglect के लिए दोषी पाते हुए निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

(1) निन्दन वर्ष 2009–10

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री चौधरी को निन्दन वर्ष 2009–10 का दंड देते हुए उक्त दंडादेश श्री मोद नारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, महानन्दा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जे0 एन0 पी0 सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 44-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in